न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 103/2025(GCMS 2025/414)
(RTI No. 212328023889754)

श्री नक्षत्र सिंह पुत्र श्री हमीर सिंह निवासी वार्ड नं. 24, रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 88750—89377)

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

10.12.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी नक्षत्र सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2025 से तहसीलदार (भू.अ.), रायसिहनगर से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई, इसलिए अपीलार्थी ने प्रथम अपील पेश कर, सहायक लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि नक्षत्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

> राजस्व अधिकारी (तहसीलदार) की जिस रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों द्वारा न्यायिक भवन बनाने की अनुमति दी गई है, उस रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2025/6372 दिनांक 24.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:54:47 IST
Reason: SelfAttested

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी नक्षत्र सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचना निम्न प्रकार है :
>
> 1. मण्डी रायसिंहनगर में न्यायालय भवन की भूमि पर जो न्यायालय भवन का निर्माण किया जा रहा है, उसमें भवन निर्माण संबंधी स्वीकृति तहसील कार्यालय से संबंधित नहीं है।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 103/2025
(GCMS No. 2025/414)
(RTI No. :212328023889754)

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार **(भू.अ.), रायसिंहनगर** ने **अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर** द्वारा अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, परन्तु तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे ज्ञात नहीं होता हो कि तहसीलदार, रायसिंहनगर द्वारा प्रार्थी को कोई जवाब दिया गया है अथवा नहीं? इसलिए तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी को पूर्व में कोई जवाब/सूचना नहीं दी गई हो तो उसे निर्णय प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब दिया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 10.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:54:47 IST
Reason: Self-Attested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर